

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

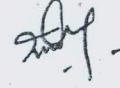
क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2020

जयपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/II/6852 दिनांक 08.09.2020 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव, माह सितम्बर-अक्टूबर 2020 के लिए घोषित किए हैं। ये आम चुनाव (संलग्न परिशिष्ट-A एवं B) चार चरणों में चरणवार दिनांक 28.09.2020, 03.10.2020, 06.10.2020 एवं 10.10.2020 को होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के उक्त आम चुनाव दिनांक 28.09.2020, 03.10.2020, 06.10.2020 एवं 10.10.2020 को संलग्न सूची अनुसार मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकी उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से



(शरद मेहरा)

निदेशक (वित्त)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/II/ 6986

दिनांक 11.09.20

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव

11.9.2020